



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 18, 2006/वैशाख 28, 1928

No. 211]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 18, 2006/VAISAKHA 28, 1928

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 5 मई, 2006

New Delhi, the 5th May, 2006

सा.का.नि.295(अ)—भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का निपटान) अधिनियम, 1985 (1985 का 21वां) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक पीठासीन न्यायाधीश, की भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों के कल्याण आयुक्त के पद पर समवर्ती प्रभार की अवधि को 29-3-2006 से 1 वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

G.S.R. 295(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby extends the tenure of Justice Shri Deepak Verma, a sitting Judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the Welfare of the victims of Bhopal Gas Leak Disaster, for a period of one year with effect from 29-3-2006 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 21/21/2002-B. Cell]

[फा. सं. 21/21/2002-भोपाल सेल]

B. P. PANDEY, Jt. Secy.

बी. पी. पाण्डेय, संयुक्त सचिव